ida इंदौर विकास प्राधिकरण

विज्ञप्ति क्र.: 171
दिनांक : 15.09.2026

इन्दौर विकास प्राधिकारी की योजना क्र. 134 में 01 आवासीय उपयोग के माडल रो–हाउस को भू–स्वामी अधिकार पर नियत मूल्य पर कम्प्युटर द्वारा लाटरी पद्धती से व्ययन करने हेतु ऑनलाईन (Online) आवेदन आमंत्रित किये जाते है। रो–हाउस का विवरण निम्नानुसार है :–

अ. क.	रो–हाउस क्र.	आरक्षण श्रेणी	क्षेत्रफल व.मी. में	रो हाउस की कीमत रू.	पंजीयन राशि रू.
1	119	सामान्य	54.00	45,00,000	2,25,000

लॉटरी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी महत्वपूर्ण दिनांक एवं समय

अ.क.	विवरण	दिनांक	समय
1	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र क्रय करने की आरम्भ दिनांक एवं समय	21-09-2026	14:00 hrs.
2	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र क्रय करने एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	14-10-2026	18:00 hrs.
3	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र खोलने का दिनांक एवं समय	15-10-2026	11:30 hrs. Onwards
4	लॉटरी करने का दिनांक एवं समय	27-10-2026	16:00 hrs.

नोट :–

- लॉटरी के आवेदन प्राधिकारी की वेबसाईट https://www.idaindore.org पर देखे एवं भरे जा सकते है।
- लॉटरी में भाग लेने हेतु आवेदन प्रस्तुतकर्ता पंजीयन राशि का भुगतान ऑनलाईन स्वयं के क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस के माध्यम से कर सकेगा।
- आवेदनकर्ता को रो–हाउस का चयन ऑनलाईन करना होगा तथा आधार कार्ड, पेन नंबर, आवदेन प्रपत्र एवं सभी डाक्यूमेंट की प्रति स्वप्रमाणिक कर स्केनिंग करके ऑनलाईन अपलोड करना होगी।
- लॉटरी पद्धति में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल वेबसाईट पर ही प्रदर्शित किया जायेगा, जिसे पृथक से समाचार–पत्रों में प्रकाशित नही किया जावेगा।
- सम्पत्ति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि (अमानत राशि सहित) आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 1 माह की अवधि में जमा कराना होगी एवं शेष 75 प्रतिशत राशि आगामी 3 माह की अवधि में अर्थात आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 4 माह की अवधि में जमा कराना होगी। निर्धारित समयावधि में प्रीमियम की राशि जमा न करने पर व्ययन नियम,2018 तथा यथासंशोधित नियम 09.04.2021 के नियम 12 अनुसार संपत्ति की निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी।
- आवेदक आवेदन करने से पूर्व मौका निरीक्षण कर संपत्ति का अवलोकन कर आवेदन करें एवं पूर्ण संतुष्ट होने पर ही आवेदन करे। संपत्ति का कब्जा यथास्थिती में दिया जावेगा।
- सम्पत्ति की प्रीमियम की राशि प्राधिकारी कोष में जमा करने उपरांत नियत दिनांक से 6 दिवस पूर्व प्राधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर जमा राशि की पुष्टि करना अनिवार्य है, किसी भी कारण से नियत दिनांक तक राशि प्राधिकारी कोष में जमा नही होने पर सम्पत्ति की निरस्ती संबंधी समस्त जवाब देही आवेदक/आरक्षिती की होगी। लोकेशन हेतु QR Code स्केन करें।
- प्राधिकरण को आवेदन स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी,इन्दौर

अधिक जानकारी के लिए कार्यलयीन समय में श्री हेमन्त उपाध्याय (मो. 9893699121) से संपर्क करें, अथवा प्राधिकारी की वेबसाईट www.idaindore.org पर देखे।